न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 209/2019

1. कृष्ण
2. रोहताश
3. झिण्डूराम

पिसरान कासीराम जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा जिला हनुमानगढ।

4. सुशीला पत्नी स्व0 विनोद पुत्र कासीराम जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
5. आलोक
6. ज्योति

पिसरान स्व0 विनोद नाबालिगान जरिये कुदरती माता सुशीला पत्नी स्व0 विनोद पुत्र कासीराम जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा।

7. शिलोचना पत्नी स्व0 मदनलाल पुत्र रामकुमार जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
8. राजेश पुत्र
9. सुनीता पुत्री

स्व0 मदनलाल जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा।

10. भालसिंह पुत्र रामकुमार जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
11. फकीरचंद पुत्र स्व0 सार्दूल जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. रामकुमार
2. कासीराम

पिसरान फुलाराम जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा।

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. उप पंजीयक कार्यालय भादरा त0 भादरा।

:– **असल प्रतिवादीगणं**

5. निर्मला पत्नी बलवीरसिंह पुत्री रामकुमार जाति खाती नि0 उतरादाबास त0 भादरा।
6. शिमला पत्नी भगतराम पुत्री रामकुमार जाति खाती नि0 उतरादाबास त0 भादरा।
7. मन्जू पत्नी दलीप पुत्री रामकुमार जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
8. सन्तोष पत्नी धर्मवीर पुत्री रामकुमार जाति खाती नि0 मोठसरां त0 आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।
9. धन्नीदेवी पत्नी स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 उतरादाबास त0 भादरा।
10. बिमला पत्नी महेन्द्र पुत्री स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 उतरादाबास।
11. रोशनी पत्नी दीवानसिंह पुत्री स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 भरवाना त0 भादरा।
12. सुनीता पत्नी वीरसिंह पुत्री स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 उतरादाबास।
13. सुमन पत्नी श्योपत पुत्री स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 झांसल त0 भादरा।
14. सतवीर पुत्र स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 उतरादाबास त0 भादरा।

:–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री महेन्द्र जांगिड एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं0 53/52 के खसरा सं0 384 की 6.6390है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 ता 2 व स्व0 सार्दूल सिंह के नाम 4/5 हिस्सा व रोही भनाई के खाता सं0 114/107 के खसरा सं0 25 की 3.1740है0, खसरा सं0 233 की 1.6060है0, खसरा सं0 298 की 3.6670है0 बारानी कृषि भूमि जयकौरी पत्नी स्व0 फुलाराम, प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 कासीराम व स्व0 सार्दूल का संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से जयकौरी का नाम कलमजन किया जाकर कासीराम के 1/3 हिस्से में तन्हा कासीराम के बजाए प्रतिवादी सं0 2 कासीराम के साथ–साथ वादीगण सं0 1 ता 3 तथा वादीगण सं0 4 ता 6 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर व रामकुमार के 1/3 हिस्से में तन्हा रामकुमार के बजाए प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के साथ–साथ वादीगण सं0 7 ता 9 संयुक्त रूप से व वादीगण सं0 10 को बहिस्सा बराबर तथा सार्दूल के 1/3 हिस्से में से सार्दूल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 11 व प्रतिवादी सं0 9 व प्रतिवादी सं0 14 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व चुंकि प्रतिवादी सं0 5 ता 8 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण सं0 5 ता 8, 10 व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तथा 10 ता 13 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण सं0 11 व प्रतिवादी सं0 9 व 14 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.7.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 209/2019

1. कृष्ण
2. रोहताश
3. झिण्डूराम

पिसरान कासीराम जाति खाती निवासी उतरादावास त0 भादरा जिला हनुमानगढ।

4. सुशीला पत्नी स्व0 विनोद पुत्र कासीराम जाति खाती निवासी उतरादावास त0 भादरा।
5. आलोक
6. ज्योति

पिसरान स्व0 विनोद नाबालिगान जरिये कुदरती माता सुशीला पत्नी स्व0 विनोद पुत्र कासीराम जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा।

7. शिलोचना पत्नी स्व0 मदनलाल पुत्र रामकुमार जाति खाती निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
8. राजेश पुत्र
9. सुनीता पुत्री

स्व0 मदनलाल जाति खाती निवासी उतरादावास त0 भादरा।

10. भालसिंह पुत्र रामकुमार जाति खाती निवासी उतरादावास त0 भादरा।
11. फकीरचंद पुत्र स्व0 सार्दूल जाति खाती निवासी उतरादावास त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. रामकुमार
2. कासीराम

पिसरान फुलाराम जाति खाती निवासी उतरादावास त0 भादरा।

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. उप पंजीयक कार्यालय भादरा त0 भादरा।

:– **असल प्रतिवादीगण**

5. निर्मला पत्नी बलवीरसिंह पुत्री रामकुमार जाति खाती नि0 उतरादावास त0 भादरा।
6. शिमला पत्नी भगतराम पुत्री रामकुमार जाति खाती नि0 उतरादावास त0 भादरा।
7. मन्जू पत्नी दलीप पुत्री रामकुमार जाति खाती निवासी उतरादावास त0 भादरा।
8. सन्तोष पत्नी धर्मवीर पुत्री रामकुमार जाति खाती नि0 मोठसरां त0 आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।
9. धन्नीदेवी पत्नी स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 उतरादावास त0 भादरा।
10. बिमला पत्नी महेन्द्र पुत्री स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 उतरादावास।
11. रोशनी पत्नी दीवानसिंह पुत्री स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 भरवाना त0 भादरा।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

12. सुनीता पत्नी वीरसिंह पुत्री स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 उतरादावास।
13. सुमन पत्नी श्योपत पुत्री स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 झांसल त0 भादरा।
14. सतवीर पुत्र स्व0 सार्दूल जाति खाती नि0 उतरादावास त0 भादरा।

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री महेन्द्र जांगिड : वादीगण
वकील श्री राममूर्ति ताखर : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा उतरादावास के खाता सं0 53/52 के खसरा सं0 384 की 6.6390है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 ता 2 व स्व0 सार्दूल सिंह के नाम 4/5 हिस्सा व रोही भनाई के खाता सं0 114/107 के खसरा सं0 25 की 3.1740है0, खसरा सं0 233 की 1.6060है0, खसरा सं0 298 की 3.6670है0 बारानी कृषि भूमि जयकौरी पत्नी स्व0 फुलाराम, प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 कासीराम व स्व0 सार्दूल का संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए नुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1, 2 व 5 ता 14 की ओर से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ इकबालदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 कृष्ण कुमार पुत्र कासीराम जाति खाती निवासी उतरादावास त0 भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भनाई खाता सं0 114/107 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही उतरादावास खाता सं0 53/5 संवत 2071–74 प्रदर्श 2, असल हक तर्कनामा प्रदर्श 3, जमाबंदी खातेदार प्रदर्श 4 व 5, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत उतरादावास प्रदर्श 6 करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

कलक्टर
(क)भादरा

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही उतरादावास के राजस्व रिकार्ड में अपनी पैतृक भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भनाई खाता सं0 114/107 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही उतरादावास खाता सं0 53/5 संवत 2071–74 प्रदर्श 2, असल हक तर्कनामा प्रदर्श 3, जमाबंदी खातेदार प्रदर्श 4 व 5, वारिस

Scanned with CamScanner

प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत उतरादाबास प्रदर्श 6 करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 व 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 6 शपथ पत्र मय वारिस प्रमाण के अनुसार फुलाराम के तीन पुत्र रामकुमार (रामकुमार के जायज वारिसान में निर्मला शिमला, मंजू, संतोष पुत्रियां रामकुमार व भालसिंह, स्व0 मदनलाल पुत्र रामकुमार, (मदनलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज वारिसान में सिलोचना पत्नी मदनलाल, राजेश पुत्र स्व0 मदनलाल व सुनीता पुत्री स्व0 मदनलाल) सार्दूल (सार्दूल की मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न पत्रावली है तथा सार्दूल के जायज वारिसान में शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार धन्नीदेवी पत्नी सार्दूल, विमला, रोशनी, सुनीता, सुमन पुत्रियां सार्दूल व फकीरचंद, सतवीर पुत्र सार्दूल मौजूद है) कासीराम (कासीराम के जायज वारिसान में कृष्ण, रोहताश, झिण्डूराम, स्व0 विनोद (विनोद की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज वारिसान में सुशीला पत्नी स्व0 विनोद, आलोक पुत्र स्व0 विनोद, ज्योति पुत्री विनोद)व एक पुत्री लिछमा तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1, 2 व 5 ता 14 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । चुंकि जयकौरी पत्नी फुलाराम की मृत्यु हो चुकी है जिससे वादभूमि में रामकुमार, कासीराम व स्व0 सार्दूल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। क्योंकि लिछमा पुत्री फुलाराम ने अपना हक व हिस्सा पूर्व में जरिये दस्तरबरदारी दिनांक 04.02.2002 को अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं0 53/52 के खसरा सं0 384 की 6.6390है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 ता 2 व स्व0 सार्दूल सिंह के नाम 4/5 हिस्सा व रोही भनाई के खाता सं0 114/107 के खसरा सं0 25 की 3.1740है0, खसरा सं0 233 की 1.6060है0, खसरा सं0 298 की 3.6670है0 बारानी कृषि भूमि जयकौरी पत्नी स्व0 फुलाराम, प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 कासीराम व स्व0 सार्दूल का संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से जयकौरी का नाम कलमजन किया जाकर कासीराम के 1/3 हिस्से में तन्हा कासीराम के बजाए प्रतिवादी सं0 2 कासीराम के साथ–साथ वादीगण सं0 1 ता 3 तथा वादीगण सं0 4 ता 6 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर व रामकुमार के 1/3 हिस्से में तन्हा रामकुमार के बजाए प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के साथ–साथ वादीगण सं0 7 ता 9 संयुक्त रूप से व वादीगण सं0 10 को बहिस्सा बराबर तथा सार्दूल के 1/3 हिस्से में से सार्दूल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 11 व प्रतिवादी सं0 9 व प्रतिवादी सं0 14 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व चुंकि प्रतिवादी सं0 5 ता 8 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण सं0 5 ता 8, 10 व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तथा 10 ता 13 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण सं0 11 व प्रतिवादी सं0 9 व 14 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
(फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S.

Scanned with CamScanner